# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पहाडी ( भरतपुर)

पीठासीन अधिकारी संजय गोयल आर0ए0एस

मुकदमा नं0 03 / 2022

सायरा उर्फ सरीयन पत्नी इस्लाम जाति मेव निवासी अमरूका तहसील पहाडी (भरतपुर) राज0

अपीलान्ट

बनाम

1. ग्राम पंचायत रॉफ जरिये सरपंच ग्राम पंचायत रॉफ तहसील पहाडी
2. रहमती पुत्री छज्जू जाति मेव निवासी ग्राम अमरूका तहसील पहाडी (भरतपुर)

रैस्पोडेन्टस

अपील अन्तर्गत धारा 75 आर0 एल0आर0 एक्ट
विरूद्ध नामान्तरकरण संख्या 573 दिनांक 21 / 09 / 2013
ग्राम पंचायत रॉफ तहसील पहाडी

1. श्री सतीश शर्मा वकील अपीलान्ट

दिनांक :– 20 / 05 / 2022

## निर्णय

अपीलान्ट द्वारा यह अपील अन्तर्गत धारा 75 आर0 एल0आर0 एक्ट के तहत विरूद्ध रैस्पोडेन्टस इस आशय की पेश की कि आराजी खसरा नम्बर 16 / 0. 34, 47 / 0.49 हैक्टर बांके ग्राम अमरूका तहसील पहाडी में स्थित है। आराजी मुत0 को अपीलान्ट द्वारा दिनांक 17 / 05 / 2010 द्वारा इस्लाम पुत्र छज्जू व रैस्पोडेन्ट संख्या 2 रहमती से जरिये रजिस्टर्ड वयनामा खरीद किया था और अपीलान्ट आराजी के सम्पूर्ण रकबे पर खरीद के बाद से आज तक निरन्तर रूप से काबिज रहकर काश्त करती चली आ रही है और आज भी मौके पर अपीलान्ट काबिज काश्त है। अपीलान्ट द्वारा आराजी के बयनामा को रिकॉर्ड में अपने नाम नामान्तकरण कराने बाबत रैस्पोडेन्ट संख्या 1 के यहां पेश किया लेकिन रैस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा वयनामा मौका व कब्जा की सही तरीके से जाँच परताल नहीं की और बिना जानकारी किये ही आराजी पर रैस्पोडेन्ट संख्या 2 के हिस्से की आराजी को छोडते हुये केवल इस्लाम के 4 / 9 हिस्से का दाखिल खारिज रिकॉर्ड में अपीलान्ट के नाम दर्ज कर दिया। जबकि अपीलान्ट द्वारा रैस्पोडेन्ट संख्या 2 का 4 / 9 हिस्सा भी खरीद किया है। जो बयनामा में दर्ज है। खरीद के बाद से ही

उपखण्ड अधिकारी
(भरतपुर)

Scanned with OKEN Scanner

रैस्पोडेन्ट का आराजी से कोई संबन्ध नहीं है। इस प्रकार से आराजी पर रिकॉर्ड में
रैस्पोडेन्ट संख्या 2 रहमती के 4/9 हिस्से की आराजी को छोडते हुये केवल
इस्लाम के 4/9 हिस्सा की आराजी का रिकॉर्ड दाखिल खारिज दर्ज कर
रैस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा भारी भूल की गई है। जो कानून के खिलाफ है और
दाखिल खारिज संख्या 573 दिनांक 21/09/2013 काबिले खारिजी है। अतः
अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर दाखिल खारिज संख्या 573 दिनांक
21/09/2013 द्वारा ग्राम पंचायत रॉफ को निरस्त कर सम्पूर्ण रकबे पर अपीलान्ट
के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करने के आदेश प्रदान करें।

अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्ट्रर की जाकर रैस्पोडेन्टस को जरिये नोटिस तलब किया गया। रैस्पोडेन्टस बावजूद सूचना के न्यायालय में उपस्थित नहीं आये। उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

वकील अपीलान्ट् की बहस सुनी गई। हमने बहस वकील अपीलान्ट पर मनन किया, राजस्व रिकार्ड का अवलोकन किया। प्रस्तुत प्रकरण में नामान्तरण संख्या 573 दिनांक 21.09.2013 को खारिज करने का निवेदन किया गया है। ग्राम पंचायत रांफ द्वारा यह नामान्तरण रजिस्ट्रर्ड बयनामा के आधार पर खोला गया है। रजिस्ट्रर्ड बयनामा में स्पष्ट रूप से यह अंकित है कि विक्रेता इस्लाम द्वारा सायरा पत्नि इस्लाम को 4/9 हिस्सा एवं विक्रेता रहमती पुत्री छज्जू द्वारा सायरा पत्नि इस्लाम को 1/9 हिस्सा भूमि का बेचान किया गया है। परन्तु ग्राम पंचायत रांफ द्वारा नामान्तरण तस्दीक करते समय केवल 4/9 हिस्से का नामान्तरण सायरा पत्नि इस्लाम के पक्ष में कर दिया गया है। जिसके कारण वर्तमान जमा बन्दी में रहमती पुत्री छज्जू का 1/9 हिस्सा दर्ज है। इससे यह स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत रांफ द्वारा नामान्तरण तस्दीक करते समय भारी भूल की गई है। अतः नामान्तरण संख्या 573 दिनांक 21.09.2013 को खारिज किया जाना उचित है।

**अतः आज्ञा है कि :–**

अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर नामान्तरण संख्या 573 दिनांक 21/09/2013 आज्ञा सरपंच ग्राम पंचायत रॉफ निरस्त किया जाता है। पत्रावली तहसीलदार पहाड़ी को इस निर्देश के साथ प्रति प्रेषित की जाती है कि वे उभयपक्ष को सुनकर पुनः नामान्तकरण की कार्यवाही करें। निर्णय प्रति तहसीलदार पहाड़ी को पालनार्थ भेजी जावें।

निर्णय निर्णय आज दिनांक 20/05/2022 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(संजय गोयल)
उपखण्ड अधिकारी
पहाड़ी (भरतपुर).

उपखण्ड अधिकारी
पहाड़ी (भरतपुर)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पहाड़ी उप जिला कलेक्टर